



This is a digitally signed Gazette, to verify click here.

<http://rajpatrahimachal.nic.in>

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शुक्रवार, 28 जुलाई, 2017 / 6 श्रावण, 1939

हिमाचल प्रदेश सरकार

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH BOARD OF DEPARTMENTAL
EXAMINATION

PRESS NOTE

Fairlawns, Shimla-171 012, the 21st July, 2017

No. HIPA (Exam)-21/76-8.—The Departmental Examinations for Officers/Officials of the following categories who are serving on regular basis under H.P. Government will be held *w.e.f.* 23.10.2017 to 31.10.2017 by the Board of Departmental Examination, H.P. Institute of Public Administration, Fairlawns, Shimla-171012:—

- i. Indian Administrative Service

- ii. H.P. Administrative Service
- iii. Tehsildars/ Naib-Tehsildars
- iv. IFS/HPFS and all other Gazetted Officers and eligible Non Gazetted Officers (Supdt. Gr.-II and Sr. Assistant) Technical and Non-Technical.
- v. Excise and Taxation Inspectors of the Excise and Taxation Department.
- vi. H.P.Board of School Education (Class-II Officers/ Officials of the Board
- vii. Engineering Officers Civil/Electrical and Mechanical of the H.P.State Electricity Board Ltd.
- viii. Assistant Engineers (Civil)/ Senior Managers of HPTDC Ltd.

For the convenience of candidates appearing only in Paper No.1 Financial Administration, the Board shall also conduct the examination at Dharamshala and Mandi, besides H.P. Public Service Commission, Shimla.

Those who intend to appear in the Departmental Examinations should send their applications on the prescribed Application Form with two attested passport size photographs through their respective Heads of Department/Competent Authority to the Secretary, H.P. Board of Departmental Examination, Fairlawns, Shimla-171012 so as to reach this office latest by 08.09.2017.

However, they may send advance copy of their application form direct to the Secretary, H.P.Board of Departmental Examination latest by 08.09.2017. In such cases, roll numbers shall be issued only after the receipt of their application through proper channel not later than 10 days before the date of commencement of Examination *i.e.* upto 12.10.2017. Application Form can be downloaded from the website of HIPA at www.hipashimla.nic.in.

T.C. Sharma
SECRETARY,
H.P. Board of Departmental Examinations,
Fairlawns, Shimla-171012.
(M) 94189-46008
(O) 0177-2734689

1. NEWS Editor,
Prasar Bharati All India Radio,
Ambedkar Chowk, Chaura Maidan,
Shimla-171004
Fax No. 2657453.
2. NEWS Editor,
Doordarshan, Shimla-171004
Fax No. 2652366.
3. The Director,
Information & Public Relation Department,
H.P., Shimla-171002 alongwith 10 extra copies.
Fax No. 2624805.

हिमाचल प्रदेश सरकार विभागीय परीक्षा बोर्ड

अधिसूचना

फेयरलॉन्ज, शिमला-171012, 21 जुलाई, 2017

संख्या: हिपा (परीक्षा)-21/76-8.—भारतीय प्रशासनिक सेवा/हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा, भारतीय वन सेवा/हिमाचल प्रदेश वन सेवा, तहसीलदार व नायब तहसीलदार, राज्य में कार्यरत अन्य समस्त राजपत्रित अधिकारी/पात्र अराजपत्रित अधिकारी (अधीक्षक (ग्रेड-II) व वरिष्ठ सहायक) तथा आबकारी एवं कराधान विभाग के आबकारी एवं कराधान निरीक्षकों के लिए, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के राजपत्रित अधिकारी/पात्र अराजपत्रित अधिकारी तथा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लि. के अभियन्ताओं के लिए व हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के वरिष्ठ प्रबन्धकों/सहायक अभियन्ताओं सिविल के लिए विभागीय परीक्षा पास करना अनिवार्य है, के लिए इस का आयोजन (समय सारणी) अनुबन्ध “क” के अनुसार हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा बोर्ड, हिपा, फेयरलॉन्ज, शिमला-171012, द्वारा दिनांक 23.10.2017 से 31.10.2017 तक आयोजित की जा रही है। उम्मीदवारों की सुविधा के लिए वित्तीय प्रशासन पर्चा संख्या-1 का आयोजन शिमला के अलावा मण्डी तथा धर्मशाला में भी किया जाना है। इन परीक्षाओं का आयोजन हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 जोकि समय-समय पर संशोधित किए गए हैं, के अन्तर्गत किया जायेगा।

अतः समस्त इच्छुक उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि प्रतिदिन प्रातः का सत्र ठीक 10.00 बजे तथा सांय का 2.00 बजे बाद दोपहर आरम्भ होगा। जो उम्मीदवार विभागीय परीक्षा में बैठना चाहते हों वे अपने आवेदन-पत्र निधारित प्रपत्र पर दो प्रतियाँ सत्यापित पास पोर्ट साईज फोटोग्राफस सहित अपने-अपने विभागाध्यक्षों के माध्यम से प्रपत्र के भाग-८ पर अपनी पात्रता सत्यापित करवा कर सचिव, हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा बोर्ड, फेयरलॉन्ज, शिमला-171012 को प्रेषित करें जोकि हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान में दिनांक 08.09.2017 तक पहुंच जाने चाहिए।

आवेदन पत्र की अग्रिम प्रति भी सचिव, हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा बोर्ड को भेजी जा सकती है। अग्रिम प्रति तभी मान्य होगी यदि विभागाध्यक्ष द्वारा पात्रता सत्यापित करके आवेदन-पत्र परीक्षा प्रारम्भ होने से दस दिन पूर्व (यानि दिनांक 12.10.2017 तक) सचिव, विभागीय परीक्षा बोर्ड के कार्यालय में प्राप्त हो जाए। आवेदन-पत्र तथा समय सारणी HIPA Website www.hipashimla.nic.in से डाउनलोड अथवा आवेदन-पत्र को टंकित व फोटोस्टैट भी करवाया जा सकता है।

(टी.सी.शर्मा)

सचिव,

हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा बोर्ड,

फेयरलॉन्ज, शिमला-171012.

**H.P. BOARD OF DEPARTMENTAL EXAMINATIONS, HIPA-FAIRLAWNS, SHIMLA-12
DEPARTMENTAL EXAMINATIONS, OCTOBER, 2017**

DATE SHEET

IAS/HAS

Sr. No. 1	Date/Day 2	Time 3	IAS Papers 4	HAS Papers 5
1.	23.10.2017 Monday	10.00 AM to 1.00 PM	Criminal Law & Procedure (Paper-1)	Criminal Law & procedure (Paper-1)
		2 PM to 5 PM	Criminal Case (Paper-2)	Criminal Case (Paper-2)

1	2	3	4	5
2.	24.10.2017 Tuesday	10.00 AM to 1.00 PM	Revenue Law & Procedure (Paper-3)	Revenue Law & Procedure (Paper-3)
		2 PM to 5 PM	Revenue Case (Paper-5)	Revenue Case (Paper-5)
3.	25.10.2017 Wednesday	10.00 AM to 1.00 PM		General Administration (Paper-6)
		2 PM to 3.30 PM	Hindi (written)	Hindi (written)
		3.30 PM to 5 PM	Hindi (Oral) (Paper-4)	Hindi (Oral) (Paper-4)
4.	26.10.2017 Thursday	10.00 AM to 1.00 PM		Planning & Development (Paper-7)
		2 PM to 5 PM		Constitution & Civil Law (Paper-8)
5.	27.10.2017 Friday	10.00 AM to 1.00 PM	Civil Services Treasury and Financial Rules (Paper-9)	Civil Services Treasury and Financial Rules (Paper-9)
		2 PM to 5 PM	Special Acts (Criminal) Manuals & Rules (Paper-10)	Special Acts (Criminal) Manuals & Rules (Paper-10)
6.	28.10.2017 Saturday	10.00 AM to 1.00 PM	Minor (Revenue) Acts & Manuals (Paper-11)	Minor (Revenue) Acts & Manuals (Paper-11)
		2 PM to 3.30 PM		Computer (Written) Computer (Practical) (Paper-14)
		4 PM to 5.00 PM		
7.	30.10.2017 Monday	10.00 AM to 11.30 PM	Motor Mechanism & Driving (Written)	Motor Mechanism & Driving (Written)
		12.30 PM to 5.00 PM	Practical (Paper-12)	Practical (Paper-12)
8.	31.10.2017 Tuesday	10.00 AM to 5.00 PM		Target Shooting (Rifle & Revolver) (Paper-13)

NOTE:-

VENUE: 1. H.P. PUBLIC SERVICE COMMISSION, NIGAM VIHAR, SHIMLA-2

2. Computer Practical at HIPA

Tehsildars/ Naib-Tehsildars

Sl. No. 1	Date/Day 2	Time 3	Tehsildars Papers 4	Naib-Tehsildars Papers 5
1.	25.10.2017 Wednesday	2 PM to 5 PM	Hindi (written) (Paper-4)	Hindi (written) (Paper-4)
2.	26.10.2017 Thursday	10.00 AM to 1.00 PM	Land Revenue Acts & Rules (Paper-1)	Land Revenue Acts & Rules (Paper-1)
		2 PM to 5 PM	Arithmetic & Patwaris Mensuration (Paper-2)	Arithmetic & Patwaris Mensuration (Paper-2)
3.	27.10.2017 Friday	10.00 AM to 1.00 PM	Minor Revenue Acts & Rules (Paper-3)	Minor Revenue Acts & Rules (Paper-3)
		2 PM to 5 PM	Criminal Law & Procedure (Paper-5)	Criminal Law & Procedure (Paper-5)
4.	28.10.2017 Saturday	10.00 AM to 1.00 PM	Revenue Case (Paper-6)	
		2 PM to 5 PM	Local & Special Law (Paper-7)	
5.	30.10.2017 Monday	10.00 AM to 1.00 PM	Local Fund Treasury & Financial Rules (Paper-8)	

NOTE:—

VENUE: H.P. PUBLIC SERVICE COMMISSION, NIGAM VIHAR, SHIMLA-2

Technical /Non-Technical Departments

Sl. No.	Date/Day	Time	Technical Papers	Non-Technical Papers
1	2	3	4	5
1.	23.10.2017 Monday	10.00 AM to 1.00 PM	Financial Administration (Paper-1) (Only for Principals/ eligible Lecturers/ Headmasters and eligible Teachers of Education Deptt.)	—
		2 PM to 5 PM	Financial Administration (Paper-1) (For other than Teachers of Education Deptt.)	Financial Administration (Paper-1) (For other than Teachers of Education Deptt.)
2.	24.10.2017 Tuesday	10.00 AM to 1.00 PM	Concerned Departments (Paper-3)	Concerned Departments (Paper –3)
		10.00 AM to 12.00 Noon	HPPSC & Others- Computer (Written) (Paper-3)	
		12.30 PM to 1.30 PM	HPPSC & Others- Computer (Practical)	
		2 PM to 5 PM	—	Concerned Departments (Paper-4)
3.	25.10.2017 Wednesday	10.00 AM to 1.00 PM	—	Concerned Departments (Paper-5)
		10.00 AM to 11.30 AM		Panch Raj-Computer (Written)(Paper-5)
		12.00 PM to 1.30 PM		Panch Raj-Computer (Practical)
		2 PM to 3.30 PM	Hindi (written)	Hindi (written)
		3.30 PM to 5.00 PM	Hindi (Oral) (Paper-2)	Hindi (Oral) (Paper-2)

NOTE:—

VENUE: 1. H.P. PUBLIC SERVICE COMMISSION, NIGAM VIHAR, SHIMLA-2
 2. MANDI AND DHARAMSHALA FOR FINANCIAL ADMINISTRATION ONLY
 3. Computer Practical at HIPA

Non-Technical Department (Treasury and Distt. Treasury Officers)

Sl. No. 1	Date/Day 2	Time 3	Non-Technical Papers 4
1.	23.10.2017 Monday	10.00 AM to 1.00 PM	—
		2 PM to 5 PM	Financial Rules (Paper-5)
2.	24.10.2017 Tuesday	10.00 AM to 1.00 PM	Principles of Accounts (Paper –3)
		2 PM to 5 PM	Treasury Rules and Accounting Procedures. (Paper-4)
3.	25.10.2017 Wednesday	10.00 AM to 12.00 Noon	I.T. (Written)
		12.30 PM to 1.30 PM	I.T. (Practical) (Paper-1)
		2 PM to 3.30 PM	Hindi (written)
		3.30 PM to 5.00 PM	Hindi (Oral) (Paper-2)

NOTE:—

VENUE: 1. H.P. PUBLIC SERVICE COMMISSION, NIGAM VIHAR, SHIMLA-2
2. I.T. Practical at HIPA

Excise & Taxation Inspectors

Sl. No. 1	Date/ Day 2	Time 3	Paper Name /Paper Number 4
1.	26.10.2017 Thursday	10.00 AM to 1.00 PM	Law of Crimes (Paper-1)
		2 PM to 5 PM	Excise Law (Paper-2)
2.	27.10.2017 Friday	10.00 AM to 1.00 PM	Law Relating to Allied Taxes (Paper-3)
		2 PM to 5 PM	Sales Tax Law & Practices (Paper-4)
3.	28.10.2017 Saturday	10.00 AM to 1.00 PM	Book Keeping & General Commercial Knowledge (Paper-5)

NOTE:—

VENUE: H.P. PUBLIC SERVICE COMMISSION, NIGAM VIHAR, SHIMLA-171002

BOARDS/CORPORATIONS**H.P.BOARD OF SCHOOL EDUCATION**

Sl. No.	Date	Day	Time	EDUCATION BOARD
1	2	3	4	5
1.	23.10.2017	Monday	2 PM to 5 PM	Financial Administration (Paper-1)
2.	24.10.2017	Tuesday	10.00 AM to 1.00 PM	Administration and General (Paper-2)
			2 PM to 5 PM	Board Act and Regulations (Paper-3)

NOTE:-

VENUE: H.P. PUBLIC SERVICE COMMISSION, NIGAM VIHAR, SHIMLA-171002

Assistant Engineers/Engineering Officers of H.P. State Electricity Board Ltd.

Sl. No.	Date/ Day	Time	Paper Name /Paper Number
1.	26.10.2017 Thursday	10.00 AM to 1.00 PM	Works, Store and Commercial Accounts/ Manuals. (Paper-1)
2.	27.10.2017 Friday	10.00AM to 1.00 PM	Financial Rules, Budget, Service Regulations, Acts and Office Procedure. (Paper-2)

NOTE:—

VENUE: H.P. PUBLIC SERVICE COMMISSION, NIGAM VIHAR, SHIMLA-171002

Assistant Engineers(C)/Sr.Managers of H.P. Tourism Development Corp.Ltd.

Sl. No.	Date/ Day	Time	Paper Name /Paper Number
1.	23.10.2017 Monday	10.00 AM to 1.00PM	Accounts & Administration (common for Sr.Managers & Asstt. Engineers (C) of HPTDC) (Paper-1)
		2.00 PM to 5.00 PM	Hotel Management (Sr.Managers of HPTDC) (Paper-2)
2.	24.10.2017 Tuesday	10.00AM to 1.00PM	Project Management & Engineering (Rules & Acts) (Assistant Engineers of HPTDC) (Paper-3)

NOTE:-

VENUE: H.P. PUBLIC SERVICE COMMISSION, NIGAM VIHAR, SHIMLA-171002

AGRICULTURE DEPARTMENT
(Section-B)

NOTIFICATION

Shirnla-2, the 25th July, 2017

No. Agr-F(8)-5/2012.—The Governor of Himachal Pradesh is pleased to accept the resignation of Sh. Dev Raj s/o Sh. Brij Lal, Village Sudhrian, P.O. Tarkwari, Tehsil Bhoranj, Distt. Hamirpur, H.P. from Agricultural Produce Market Committee, Hamirpur as Non-official Producer Member appearing at Sr. No. 2, who has been nominated *vide* this department's notification of even number dated 25-7-2013 with immediate effect.

By order,

Sd/-

Addl. Chief Secretary (Agr.).

ELEMENTARY EDUCATION DEPARTMENT**NOTIFICATION***Shimla-2, the 25th -July, 2017*

No. EDN-C-F(10)-8/2009-PT-I.—In supersession of this Department Notification No. EDN.C.A(4)-3/2008 dated 8th September, 2008, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to nominate the following members in the Governing Body(Council) of Himachal Pradesh School Education Society (SSA/RMSA), Department of Education, Glen Hogen, Lalpani, Shimla under Rule 7 of the Memorandum of Association of Himachal Pradesh School Education Society as under:—

Name & Address	Category
1. Dr. Sanjeev, TGT N. Med. GMS Rugra, District Solan, Himachal Pradesh M.No. 94182-48604 Email : sanjeev24778@rediffmail.com	Secondary School Teachers
2. Poonam Kalta (Head Master) GHS Dharon Ki Dhar, Tehsil & District Solan, Himachal Pradesh, M.No. 94180-34808 Email: punamkalta1967@gmail.com	Secondary School Teachers
3. Sh. Dev Raj Sharma (Retd. Principal), P& PO Sidhpur, Via Dari, Tehsil Dharamshala, District Kangra-176057 M.No. 98164-11880.	Secondary School Teachers
4. Kuldeep Sharma (TGT Non-Med), GSSS Girls Sultanpur, District Kullu, M.No. 94180-91455 Email : kuldeepsharma5873@gmail.com	Upper Primary Teacher
5. Dr. Naresh Sharma (Retd. Dy. Director), Shimla View Cottage Chakkar, Shimla-5 M No. 94184-54767.	Educationist
6. R.K. Duggal (Retd. DIET Principal), Dwelling the Mall Nahan, District Sirmaur-173001 M. No. 94182-30344.	Educationist
7. Dr. Lokesh Kaul (Retd. Professor) HPU M.No. 94182-11592.	Educationist
8. Sister Viney, NGO Prem Ashram, Oppo. ITI Una, District Una, Himachal Pradesh.	Voluntary Agency
9. Shalini Vats, National Association for Blind, Chander Aabha, Kalyan Bhawan, Sarvari Bazar Kullu, District Kullu M. 94180-29400.	Voluntary Agency
10. Ms. Uma Baldi, House No. 17, Type 6, Govt. Colony, Mehli, Shimla-9, M.No. 94185-39732.	Distinguished service for SC/ST
11. Dr. Romesh Chand, Khushhal bhawan, Near Shiv Mandir (Andhari), Summerhill, Shimla-5. M. No. 94181-18550	Distinguished service for SC/ST

12. Dr. Mamta Mokta, Director Women Study & Professor of Public Administration, Department of Public Administration, HPU, Summerhill Shimla. M. No. 94180-57248.	Women working in the area of women's Education
13. Dr. Sudesh Negi, Retd. Director (MI), Hills Dale Ville Below BCS Phase-III, Kagnadhar, Shimla-171009.	Women working in the area of women's Education
14. Chairman Gyan Vigan Samiti, Mandi c/o DIET Mandi, District Mandi Himachal Pradesh.	Social Worker
15. Ms. Sr. Jacinta, Principal Sacred Heart Convent School Dhalli Tunnel, District Shimla-171012, Himachal Pradesh.	Literacy Figure/Artist

Members nominated by GOI

1. Concerned Joint Secretary or his or her Nominee	Member HRD Nominee
2. Financial Advisor, MHRD or his or her nominee	-do-
3. V. C. NUEPA or his or her nominee	-do-
4. Director Monitoring Institute SSA and RMSA, HPU, Shimla.	Educationist
5. Sh. J.B.G. Tilak, Sr. Fellow, NUEPA	-do-
6. Prof. Shyam Menon, CIE, Delhi University	-do-
7. Dr. Alok Guha, Disability Corporation, New Delhi	Specialist in SC, ST and Disabled Children Education
8. Sh. R.D. Munda, Ex-VC, Ranchi University	-do-
9. Sh. Subhash Mahdapurkar, SUTRA, Solan, H.P.	-do-
10. Dr. Pam Rajput, Punjab University	Women Education
11. Ms. Kunjana Singh, Ranger Palace, District Sirmaur, H.P.	-do-

The term of Non-official members nominated by the State Govt. shall be two years from the date of notification.

By order,
Sd/-
Addl. Chief Secretary (Education).

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001**NOTIFICATION***Shimla, the 21st July, 2017*

No. HHC/Admn. 6 (23)/74-XV.—Hon'ble the Acting Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2(32) of Chapter 1 of H. P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare Civil Judge-cum-JMIC(II), Mandi, H. P. as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Court of Senior Civil Judge-cum-ACJM, Mandi, H. P. and also the Controlling Officer for the purpose of salary, T. A. etc. in respect of the establishment attached to the aforesaid court under Major head "2014—Administration of Justice" with immediate effect till the joining of new Presiding Officer in that Court.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001**NOTIFICATION***Shimla, the 21st July, 2017*

No. HHC/Admn. 6 (23)/74-XV.—Hon'ble the Acting Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2(32) of Chapter 1 of H. P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare Civil Judge-cum-JMIC-II, Ghumarwin, H. P. as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Court of Senior Civil Judge-cum-ACJM, Ghumarwin, H. P. and also the Controlling Officer for the purpose of salary, T. A. etc. in respect of the establishment attached to the aforesaid court under Major head "2014—Administration of Justice" with immediate effect till the joining of Presiding Officer in that Court.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA 171 001**NOTIFICATION***Shimla, the 25th July, 2017*

No. HHC/GAZ/14-349/2014.—Hon'ble the Acting Chief Justice has been pleased to grant *ex post facto* sanction of 03 days commuted leave *w.e.f.* 28-06-2017 to 30-06-2017 in favour of Shri Vikas Bhardwaj, Additional District and Sessions Judge, Ghumarwin, District Bilaspur, H. P.

Certified that Shri Vikas Bhardwaj had joined the same post and at the same station from where he proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri Vikas Bhardwaj would have continued to hold the post of Additional District and Sessions Judge, Ghumarwin, District Bilaspur, H. P., but for his proceeding on leave for the above period.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla, the 25th July, 2017

No. HHC/GAZ/14-322/2011.—Hon'ble the Acting Chief Justice has been pleased to order the cancellation of 02 days un-availed earned leave for 02-07-2017 & 03-07-2017, already sanctioned *vide* this Registry No. HHC/GAZ/14-322/2011-18478, dated 24/27-06-2017 in favour of Ms. Manisha Goyal, Civil Judge-cum-JMIC, Nahan, H. P.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 21st July, 2017

No. HHC/Admn.6 (23)/74-XVI.—Hon'ble the Acting Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2(32) of Chapter 1 of H. P. Financial Rules, 2009, has been pleased to declare the Senior Civil Judge-cum-ACJM, Kangra as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Court of Additional Civil Judge-cum-JM (II), Kangra and also the Controlling Officer for the purpose of T. A. etc. in respect of class-II, III and IV establishment attached to the aforesaid court under head "2014-Administration of Justice" during the training course period of Sh. Rishab Kapoor, Senior Civil Judge-cum-JM (II), Kangra, H. P. *w. e. f.* 10-07-2017 to 21-07-2017 or till he returns from training course.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 21st July, 2017

No. HHC/Admn.6 (23)/74-XVI.—Hon'ble the Acting Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2(32) of Chapter 1 of H. P. Financial Rules, 2009, has been pleased to declare the Senior Civil Judge-cum-ACJM-I, Hamirpur as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Court of Mobile Traffic Magistrate, Hamirpur and Bilaspur at Hamirpur and also the Controlling Officer for the purpose of T. A. etc. in respect of establishment attached to the aforesaid court under head "2014—Administration of Justice" during the earned leave period of Sh. Vishal Bhamnotra, Mobile Traffic Magistrate, Hamirpur and Bilaspur at Hamirpur, H. P. *w.e.f.* 24-07-2017 to 2-08-2017 with permission to prefix Sunday falling on 23-07-2017 or till he returns from leave.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 1001

NOTIFICATION

Shimla, the 21st July, 2017

No. HHC/GAZ/14-324/2011.—Hon'ble the Acting Chief Justice has been pleased to grant 10 days earned leave *w.e.f.* 24-07-2017 to 02-08-2017 with permission to prefix Sunday falling on 23-07-2017 in favour of Sh. Vishal Bhamnotra, Mobile Traffic Magistrate, Hamirpur and Bilaspur at Hamirpur, H. P.

Certified that Sh. Vishal Bhamnotra is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Sh. Vishal Bhamnotra would have continued to hold the post of Mobile Traffic Magistrate, Hamirpur and Bilaspur at Hamirpur but for his proceeding on leave for the above period.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 21st July, 2017

No. HHC/GAZ/14-160/84-II.—Hon'ble the Acting Chief Justice has been pleased to grant *ex post facto* sanction of 05 days commuted leave *w.e.f.* 26-05-2017 to 30-05-2017 in favour of Sh. C. L. Kochhar, District and Sessions Judge, Mandi, H. P.

Certified that Sh. C. L. Kochhar had joined the same post and at the same station from where he proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Sh. C. L. Kochhar would have continued to hold the post of District and Sessions Judge, Mandi but for his proceeding on leave for the above period.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 21st July, 2017

No. HHC/Admn. 6 (23)/74-XVI.—Hon'ble the Acting Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2(32) of Chapter 1 of H. P. Financial Rules, 2009, has been pleased to declare the Additional District and Sessions Judge, Kinnaur at Rampur Bushahr as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Court of District and Sessions Judge, Kinnaur at Rampur Bushahr and also the Controlling Officer for the purpose of T. A. etc. in respect of class-I to IV establishment attached to the aforesaid court under head "2014—Administration of Justice" with immediate effect till Sh. P. S. Samyal, District and Sessions Judge, Kinnaur at Rampur Bushahr joins his duty.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171001

NOTIFICATION

Shimla, the 25th July, 2017

No. HHC/Admn.6 (23)/74-XVI.—Hon'ble the Acting Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2 (32) of Chapter 1 of H. P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare Senior Civil Judge-cum-CJM, Bilaspur, H. P. as Drawing and Disbursing Officer, in respect of the Court of Civil Judge-cum-JMIC, Bilaspur, H. P. and also the Controlling Officer for the purpose of salary, T.A. etc. in respect of establishment attached to the aforesaid Court during the earned leave period of Ms. Monika Sombal, Civil Judge-cum-JMIC, Bilaspur w.e.f. 28-7-2017 to 5-8-2017 with permission to suffix Sunday and gazetted holiday falling on 6-8-2017 and 7-8-2017 or till she returns from leave.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA-171001**NOTIFICATION***Shimla, the 21st July, 2017*

No. HHC/GAZ/14-350/2014.—Hon'ble the Acting Chief Justice has been pleased to grant 04 days earned leave *w.e.f.* 26-07-2017 to 29-07-2017 with permission to suffix Sunday falling on 30-07-2017 in favour of Shri Bhuvnesh Awasthi, Additional District and Sessions Judge, Kinnaur at Rampur Bushahr, H. P.

Certified that Shri Bhuvnesh Awasthi is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri Bhuvnesh Awasthi would have continued to hold the post of Additional District and Sessions Judge, Kinnaur at Rampur Bushahr, H. P., but for his proceeding on leave for the above period.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001**NOTIFICATION***Shimla, the 25th July, 2017*

No. HHC/GAZ/14-326/2012.—Hon'ble the Acting Chief Justice has been pleased to grant 09 days earned leave *w.e.f.* 28-7-2017 to 5-8-2017 with permission to suffix Sunday and gazetted holiday falling on 6-8-2017 and 7-8-2017 in favour of Ms. Monika Sombal, Civil Judge-*cum*-JMJC, Bilaspur, H. P.

Certified that Ms. Monika Sombal is likely to join the same post and at the same station from where she proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Ms. Monika Sombal would have continued to hold the post of Civil Judge-*cum*-JMJC, Bilaspur, H. P., but for her proceeding on leave for the above period.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001**NOTIFICATION***Shimla, the 21st July, 2017*

No. HHC/Admn.16 (21)75-IV.—Hon'ble the Acting Chief Justice, in exercise of the powers vested in him U/S 139(b) of the Code of Civil Procedure, 1908, U/S 297(1) (b) of the Code

of Criminal Procedure, 1973 and Rule 5(vi) of the H.P. Oath Commissioners (Appointment & Control) Rules, 2007, has been pleased to appoint Ms. Godawari Bhatti, Sh. Prashant Kumar Sharma, Sh. Kamal Dev, Sh. Rajesh Kumar-II, Sh. Ajinder Mehta, Sh. Manoj Kumar, Ms. Bhavinta Kumari and Sh. Rajesh Prakash Om Prakash, Advocates, H. P. High Court as Oath Commissioners for the High Court of Himachal Pradesh, Shimla with immediate effect for a period of two years for administering oaths and affirmations on affidavits to the deponents under the aforesaid Codes and Rules.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 21st July, 2017

No. HHC/Admn.16 (13)74-VIII.—Hon'ble the Acting Chief Justice, in exercise of the powers vested in him U/S 139(b) of the Code of Civil Procedure, 1908, U/S 297(1) (b) of the Code of Criminal Procedure, 1973 and Rule 5(vi) of the H. P. Oath Commissioners (Appointment & Control) Rules, 2007 has been pleased to appoint Sh. Brahma Nand, Sh. Anil Chauhan, Sh. Vardan Singh Jaswal, Sh. Shiv Kumar Jagota, Ms. Kusum Lata, Ms. Neha Thakur, Sh. Kapil Rahi, Sh. Arvind Kumar Rattan, Sh. Praveen Chauhan, Sh. Balvinder Singh Gaktu, Sh. Rakesh Chander, Ms. Pooja Bushahri and Ms. Reena Devi, Advocates, Shimla as Oath Commissioners at District Courts Shimla for a period of two years, with immediate effect for administering oaths and affirmations on affidavits to the deponents, under the aforesaid Codes and Rules.

By order,
Sd/-
Registrar General.

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

शिमला-171009, 27 जुलाई, 2017

संख्या 3-1/2017-ई.एल.एन.-III.—भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या: 480/2017/बी.ई.—दिनांक 27 जुलाई, 2017 तदनुसार 5 श्रावण, 1939 (शक) जो कि उप-राष्ट्रपतीय निर्वाचन, 2017 के मतों की गणना से सम्बन्धित है, को अंग्रेजी रूपान्तर सहित जनसाधारण की सूचना हेतु पुनः प्रकाशित किया जाता है।

पुष्पेन्द्र राजपूत,
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
हिमाचल प्रदेश।

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड़, नई दिल्ली-110001

अधिसूचना

दिनांक: 27 जुलाई, 2017
 5 श्रावण, 1939 (शक)

संख्या 480/2017/बी.ई.—राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1974 के नियम 27 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग 5 अगस्त, 2017 (शनिवार) को ऐसे दिन के रूप में जिस दिन और उस दिन के सायं 6:00 बजे का समय उस समय के रूप में नियत करता है, जिस समय पर उप-राष्ट्रपतीय निर्वाचन, 2017 के मतों की गणना नई दिल्ली में रिटर्निंग आफिसर के कार्यालय के कक्ष सं०-62, प्रथम तल, संसद भवन, नई दिल्ली में की जाएगी।

आदेश से,
आर. के. श्रीवास्तव
 वरिष्ठ प्रधान सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

NOTIFICATION

Dated: 27th July, 2017
Shravana 5, 1939 (Saka)

No. 480/2017-BE.—In pursuance of rule 27 of the Presidential and Vice-Presidential Elections Rules, 1974, the Election Commission of India hereby appoints the 5th August, 2017 (Saturday), as the day on which and 6.00 p.m. of that day as the time at which, the counting of votes for the Vice-Presidential Election, 2017 shall take place in the office of the Returning Officer in Room No. 62, First Floor, Parliament House, New Delhi.

By order,
R.K. SRIVASTAVA
Sr. Principal Secretary.

PERSONNEL DEPARTMENT
(AP-II)

OFFICE MEMORANDUM

Shimla-2, the 6th July, 2017

Subject: Regarding publication of Notification / Orders in official Gazette.

No. Per (AP.B)D(7)-1/2017.—In continuation of this department O.M. No. Per (AP.B)D(8)-1/2005 dated 15-02-2006 and No. Per (AP.B)B(2)-3/2001 dated 29-05-2006, 19-04-2007, 16-04-2008, 17-03-2010, 09-03-2011, 01-06-2011 and 16-04-2014 on the subject cited

above, the undersigned is directed to re-iterate that all the departments will ensure that statutory rules/ orders / regulations are invariably published in the Government Gazette strictly as per the prescribed law without any mistakes and delay. It will also be ensured by the departments that the short title, commencement and year of publication of every Rule should be the same. Any lapse in this regard will be viewed seriously.

By order,
TARUN SHRIDHAR
Additional Chief Secretary (Personnel).

All Administrative Secretaries to the
Government of Himachal Pradesh

**In the Court of Shri Bal Krishan, HPAS, Sub-Divisional Officer (Civil) Bharmour,
District Chamba (H. P.)**

Shri Ajay Kumar s/o Shri Jogh Singh, resident of Village Basanda, P.O. Garola, Tehsil
Bharmour, District Chamba, H. P. . . *Applicant.*

Versus

General Public

*Proclamation under order 5 Rule 20 C.P.C. under section 13(3) of the Birth and Death
Registration Act, 1969.*

Whereas Shri Ajay Kumar s/o Shri Jogh Singh, resident of Village Basanda, P.O. Garola, Tehsil Bharmour, District Chamba, H. P. has filed an application alongwith an affidavit regarding registration/entry of delayed date of birth of his daughter Nansi Bhardwaj *i.e.* 10-09-2012 in the record of Gram Panchayat Garola, Development Block Bharmour, Tehsil Bharmour, District Chamba, H.P., thereof.

Hence, this proclamation is issued to the general public that if they have any objection/claim regarding the registration of date of birth of Nansi Bhardwaj for entry in the record of Gram Panchayat Garola *i.e.* 10-09-2012, they may file their claim/objections on or before 05-08-2017 in this court failing which necessary orders will be passed to the concerned Gram Panchayat for registration of date of birth accordingly.

Given today on dated 30-06-2017 under my signature and seal of the Court.

Seal.

BAL KRISHAN (HPAS),
*Sub-Divisional Officer (Civil),
Bharmour, District Chamba (H.P.).*

ब अदालत विवाह पंजीकरण अधिकारी, बड़सर, उप-मण्डल बड़सर, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0

1. Rajeev Kumar s/o Shri Roshan Lal, r/o Village Kaharwin, P.O. Bani, Tehsil Barsar, District Hamirpur (H.P.).
2. Naina d/o Shri Chhangu Ram, r/o Village Bhiuli, P. O. Purani Mandi, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.) प्रार्थी

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी

आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी एक व दो ने इस न्यायालय में विवाह पंजीकरण करवाने का आवेदन किया है। अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता व उपरोक्त आवेदनकर्ता के माता-पिता को इस विवाह के पंजीकरण बारे एतराज हो तो दिनांक 31-08-2017 या इससे पूर्व प्रातः 10.00 बजे तक इस न्यायालय में आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। इस तिथि के बाद कोई उजर स्वीकार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 20-07-2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
विवाह पंजीकरण अधिकारी,
बड़सर, उप-मण्डल बड़सर, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0।

ब अदालत सुरेश पटियाल, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, सुजानपुर, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0

श्रीमती जयदेई पत्नी श्री हरजीत सिंह, बार्ड नम्बर 5, सुजानपुर, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती जयदेई पत्नी श्री हरजीत सिंह, वासी बार्ड नम्बर 5, सुजानपुर, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर का आवेदन-पत्र समस्त रिकार्ड व शपथ-पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है, जिसमें उल्लेख है, कि उसके पति श्री हरजीत सिंह पुत्र श्री किशोरी लाल, बार्ड नम्बर 5, वासी सुजानपुर, डाकघर सुजानपुर, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर जो प्रार्थी का पति है, कि मृत्यु दिनांक 04-06-2012 वासी टटबाली, डाकघर टटबाली, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा में हुई है। परन्तु अज्ञानतावस प्रार्थिन अपने पति की मृत्यु दिनांक 04-06-2012 नगर परिषद् सुजानपुर के रिकार्ड में दर्ज न करवाया है तथा अब उक्त मृत्यु नगर परिषद् सुजानपुर में दर्ज करवाना चाहती है। सचिव ग्राम पंचायत टटबाली का मृत्यु प्रमाण-पत्र जारी किया गया है, कि हरजीत सिंह की मृत्यु दिनांक 04-06-2012 को हुई है को खण्ड विकास अधिकारी फतेहपुर, जिला कांगड़ा द्वारा सत्यापित किया गया है।

अतः इस इशतहार/मुसत्री मुनादी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त मृत्यु दिनांक 04-06-2012 को नगर परिषद् सुजानपुर के रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति

हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 04-08-2017 को तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर को प्रातः 10 बजे उपस्थित होकर अपना उजर पेश कर सकता है न आने की सुरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 01-07-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हि० प्र०।

ब अदालत काली दास, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा,
जिला कांगड़ा (हि० प्र०)

केस नं० : 33/2015

तारीख पेशी : 14-08-2017

किस्म मुकद्दमा : तकसीम

शीर्षक.—धर्म सिंह बनाम कशमीर सिंह आदि।

Publication U/O, 5 Rule 20 of CPC.

मुकद्दमा : तकसीम जेर धारा 123 हि० प्र० भू-राजस्व अधिनियम, 1954 बाबत भूमि खाता नं० 67, खतौनी नं० 92, खसरा नं० 58, 60, 61, 67, 564, 565, 567, 568 (किता-8), रकबा तादादी 00-18-71 है० स्थित महाल वलोटा खास, मौजा वलोटा, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि० प्र०।

उपरोक्त भूमि की तकसीम की मिसल इस न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें प्रतिवादीगण जो निम्नलिखित हैं :-

1. राम प्यारी पत्नी स्व० श्री कशमीर सिंह, 2. मदन लाल पुत्र कशमीर सिंह, 3. रंजना देवी पुत्री कशमीर सिंह, 4. किशोरी लाल पुत्र फिन्दर, 5. रोशनी देवी पुत्री फिन्दर, 6. कमला देवी पुत्री फिन्दर, 7. देश राज पुत्र, 8. ईश्वर दास पुत्र, 9. रमेश चन्द पुत्र, 10. जगत राम पुत्र जसोधा देवी, 11. प्रवीन कुमार पुत्र, 12. अशोक कुमार पुत्र, 13. सीमा देवी पुत्री रतन चन्द सभी निवासी महाल वलोटा खास, मौजा वलोटा, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा हि० प्र० को समन जारी किये गये लेकिन तामील तसल्लीवख्श नहीं हो पाई। अतः उक्त न्यायालय को यह विश्वास हो गया है कि प्रतिवादीगण की तामील साधारण तरीके से नहीं हो सकती है। अतः उक्त प्रतिवादीगणों को इस इश्तहार राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 14-08-2017 को इस न्यायालय में प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में हाजिर आकर मुकद्दमा की पैरवी करें। हाजिर न आने की सुरत में उनके खिलाफ एमतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत नहीं होगा।

आज हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा।

**ब अदालत काली दास, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा,
जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)**

केस नं0 : 24/2016

तारीख पेशी : 14-08-2017

किस्म मुकद्दमा : तकसीम

शीर्षक.—धर्म सिंह बनाम किशोरी लाल आदि।

Publication U/O, 5 Rule 20 of CPC.

मुकद्दमा : तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 बाबत भूमि खाता नं0 50, खतौनी नं0 68, खसरा नं0 314, रकबा तादादी 00-00-72 है0 स्थित महाल वलोटा खास, मौजा वलोटा, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

उपरोक्त भूमि की तकसीम की मिसल इस न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें प्रतिवादीगण जो निम्नलिखित हैं :-

1. राम प्यारी पत्नी स्व0 श्री कशमीर सिंह, 2. मदन लाल पुत्र कशमीर सिंह, 3. रंजना देवी पुत्री कशमीर सिंह, 4. किशोरी लाल पुत्र फिन्दर, 5. रोशनी देवी पुत्री फिन्दर, 6. कमला देवी पुत्री फिन्दर, 7. देश राज पुत्र, 8. ईश्वर दास पुत्र, 9. रमेश चन्द पुत्र, 10. जगत राम पुत्र जसोधा देवी, 11. प्रवीन कुमार पुत्र, 12. अशोक कुमार पुत्र, 13. सीमा देवी पुत्री रतन चन्द सभी निवासी महाल वलोटा खास, मौजा वलोटा, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा हि0 प्र0 को समन जारी किये गये लेकिन तामील तसल्लीवख्श नहीं हो पाई। अतः उक्त न्यायालय को यह विश्वास हो गया है कि प्रतिवादीगण की तामील साधारण तरीके से नहीं हो सकती है। अतः उक्त प्रतिवादीगणों को इस इश्तहार राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 14-08-2017 को इस न्यायालय में प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में हाजिर आकर मुकद्दमा की पैरवी करें। हाजिर न आने की सूरत में उनके खिलाफ एमतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत नहीं होगा।

आज हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा।

**ब अदालत काली दास, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा,
जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)**

केस नं0 : 26/2016

तारीख पेशी : 14-08-2017

किस्म मुकद्दमा: तकसीम।

शीर्षक.—धर्म सिंह बनाम किशोरी लाल आदि।

Publication U/O, 5 Rule 20 of CPC.

मुकद्दमा : तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 बाबत भूमि खाता नं0 47, खतौनी नं0 65, खसरा नं0 470, रकबा तादादी 00-00-54 है0 स्थित महाल वलोटा खास, मौजा वलोटा, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

उपरोक्त भूमि की तकसीम की मिसल इस न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें प्रतिवादीगण जो निम्नलिखित हैं :-

1. राम प्यारी पत्नी स्व० श्री कशमीर सिंह, 2. मदन लाल पुत्र कशमीर सिंह, 3. रंजना देवी पुत्री कशमीर सिंह, 4. किशोरी लाल पुत्र फिन्दर, 5. रोशनी देवी पुत्री फिन्दर, 6. कमला देवी पुत्री फिन्दर, 7. देश राज पुत्र, 8. ईश्वर दास पुत्र, 9. रमेश चन्द पुत्र, 10. जगत राम पुत्र जसोधा देवी, 11. प्रवीन कुमार पुत्र, 12. अशोक कुमार पुत्र, 13. सीमा देवी पुत्री रतन चन्द सभी निवासी महाल वलोटा खास, मौजा वलोटा, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा हि० प्र० को समन जारी किये गये लेकिन तामील तसल्लीवख्श नहीं हो पाई। अतः उक्त न्यायालय को यह विश्वास हो गया है कि प्रतिवादीगण की तामील साधारण तरीके से नहीं हो सकती है। अतः उक्त प्रतिवादीगणों को इस इश्तहार राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 14-08-2017 को इस न्यायालय में प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में हाजिर आकर मुकद्दमा की पैरवी करें। हाजिर न आने की सूरत में उनके खिलाफ एमतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत नहीं होगा।

आज हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा।

ब अदालत काली दास, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा,
जिला कांगड़ा (हि० प्र०)

केस नं० : 25/2016

तारीख पेशी : 14-08-2017

किस्म मुकद्दमा : तकसीम

शीर्षक.—धर्म सिंह बनाम किशोरी लाल आदि।

Publication U/O, 5 Rule 20 of CPC.

मुकद्दमा : तकसीम जेर धारा 123 हि० प्र० भू-राजस्व अधिनियम, 1954 बाबत भूमि खाता नं० 48, खतौनी नं० 66, खसरा नं० 469, रकबा तादादी 00-00-64 है० स्थित महाल वलोटा खास, मौजा वलोटा, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि० प्र०।

उपरोक्त भूमि की तकसीम की मिसल इस न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें प्रतिवादीगण जो निम्नलिखित हैं :-

1. राम प्यारी पत्नी स्व० श्री कशमीर सिंह, 2. मदन लाल पुत्र कशमीर सिंह, 3. रंजना देवी पुत्री कशमीर सिंह, 4. किशोरी लाल पुत्र फिन्दर, 5. रोशनी देवी पुत्री फिन्दर, 6. कमला देवी पुत्री फिन्दर, 7. देश राज पुत्र, 8. ईश्वर दास पुत्र, 9. रमेश चन्द पुत्र, 10. जगत राम पुत्र जसोधा देवी, 11. प्रवीन कुमार पुत्र, 12. अशोक कुमार पुत्र, 13. सीमा देवी पुत्री रतन चन्द सभी निवासी महाल वलोटा खास, मौजा वलोटा, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा हि० प्र० को समन जारी किये गये लेकिन तामील तसल्लीवख्श नहीं हो पाई। अतः उक्त न्यायालय को यह विश्वास हो गया है कि प्रतिवादीगण की तामील साधारण तरीके से नहीं हो सकती है। अतः उक्त प्रतिवादीगणों को इस इश्तहार राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 14-08-2017 को इस न्यायालय में प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी की

अदालत में हाजिर आकर मुकद्दमा की पैरवी करें। हाजिर न आने की सूरत में उनके खिलाफ एमतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत नहीं होगा।

आज हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा।

ब अदालत काली दास, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा,
जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 23/2016

तारीख पेशी : 14-08-2017

किस्म मुकद्दमा : तकसीम

शीर्षक.—धर्म सिंह बनाम किशोरी लाल आदि।

Publication U/O, 5 Rule 20 of CPC.

मुकद्दमा : तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 बाबत भूमि खाता नं0 49, खतौनी नं0 67, खसरा नं0 313, रकबा तादादी 00-01-30 है0 स्थित महाल वलोटा खास, मौजा वलोटा, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

उपरोक्त भूमि की तकसीम की मिसल इस न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें प्रतिवादीगण जो निम्नलिखित हैं :-

1. राम प्यारी पत्नी स्व0 श्री कशमीर सिंह, 2. मदन लाल पुत्र कशमीर सिंह, 3. रंजना देवी पुत्री कशमीर सिंह, 4. किशोरी लाल पुत्र फिन्दर, 5. रोशनी देवी पुत्री फिन्दर, 6. कमला देवी पुत्री फिन्दर, 7. देश राज पुत्र, 8. ईश्वर दास पुत्र, 9. रमेश चन्द पुत्र, 10. जगत राम पुत्र जसोधा देवी, 11. प्रवीन कुमार पुत्र, 12. अशोक कुमार पुत्र, 13. सीमा देवी पुत्री रतन चन्द सभी निवासी महाल वलोटा खास, मौजा वलोटा, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा हि0 प्र0 को समन जारी किये गये लेकिन तामील तसल्लीवख्श नहीं हो पाई। अतः उक्त न्यायालय को यह विश्वास हो गया है कि प्रतिवादीगण की तामील साधारण तरीके से नहीं हो सकती है। अतः उक्त प्रतिवादीगणों को इस इश्तहार राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 14-08-2017 को इस न्यायालय में प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में हाजिर आकर मुकद्दमा की पैरवी करें। हाजिर न आने की सूरत में उनके खिलाफ एमतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत नहीं होगा।

आज हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, कल्पा, जिला किन्नौर, हि0 प्र0

श्री लाल बीर सिंह पुत्र श्री उजल सिंह, निवासी गांव लमरा, डाकघर व तहसील कलंगा, जिला जुमला नेपाल हाल गांव कोठी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता ग्राम कोठी, जिला किन्नौर, हि0 प्र0

दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्री लाल बीर ने इस अदालत में प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है कि उसके पुत्रों साहिल कुमार का जन्म दिनांक 12-07-2009 व अंशुल का जन्म 27-03-2011 को हुआ है जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत कोठी में नहीं किया गया है, को अब दर्ज करने बारे आदेश जारी करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म तिथियां ग्राम पंचायत कोठी के रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 19-08-2017 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव ग्राम पंचायत कोठी को उक्त जन्म पंजीकरण करने बारे आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 18-07-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी कर दिया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
कल्पा, जिला किन्नौर, हि0 प्र0।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, कल्पा, जिला किन्नौर, हि0 प्र0

श्री राम बहादुर पुत्र गोपाल, निवासी गांव व डाकघर समैला, तहसील जजरकोट, जिला जजरकोट नेपाल हाल गांव कशमीर, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता ग्राम कोठी, जिला किन्नौर, हि0 प्र0

दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्री राम बहादुर ने इस अदालत में प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है कि उसके पुत्र व पुत्रियां मनोज कुमार का जन्म दिनांक 06-01-2006, कमला कुमारी 27-12-2007 व आशा कुमारी 06-10-2008 को हुआ है जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत कोठी में नहीं किया गया है, को अब दर्ज करने बारे आदेश जारी करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म तिथियां ग्राम पंचायत कोठी के रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 19-08-2017 को या इससे पूर्व अदालत

में हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव ग्राम पंचायत कोठी को उक्त जन्म पंजीकरण करने बारे आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 18-07-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी कर दिया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
कल्पा, जिला किन्नौर, हि0 प्र0।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, कल्पा, जिला किन्नौर, हि0 प्र0

श्री विजय पाल पुत्र श्री छोटे लाल, निवासी गांव कल्पा, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता ग्राम कल्पा, जिला किन्नौर, हि0 प्र0

दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्री विजय पाल ने इस अदालत में प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है कि उनके पुत्र अभिषेक ठाकुर का जन्म दिनांक 07-10-2000 को हुआ है जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत कल्पा में नहीं किया गया है को अब दर्ज करने बारे आदेश जारी करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म तिथि ग्राम पंचायत कल्पा के रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 19-08-2017 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव ग्राम पंचायत कल्पा को उक्त जन्म पंजीकरण करने बारे आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 18-07-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी कर दिया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
कल्पा, जिला किन्नौर, हि0 प्र0।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, कल्पा, जिला किन्नौर, हि0 प्र0

श्री दल बहादुर पुत्र लाल बीर, निवासी गांव लीटाकोट, डाकघर तातापानी, जिला जुमला नेपाल हाल आई0 पी0 एच0 विभाग रिकांग पिओ, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता ग्राम खवांगी, जिला किन्नौर, हि0 प्र0

दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्री दल बहादुर ने इस अदालत में प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है कि उनके पुत्र निखिल का जन्म दिनांक 15-09-2005 को हुआ है जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत खवांगी में नहीं किया गया है को अब दर्ज करने बारे आदेश जारी करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म तिथि ग्राम पंचायत खवांगी के रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 19-08-2017 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव ग्राम पंचायत खवांगी को उक्त जन्म पंजीकरण करने बारे आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 18-07-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी कर दिया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
कल्या, जिला किन्नौर, हि0 प्र0।

समक्ष तहसीलदार एवम् सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभडोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

श्री कुलबन्त सिंह पुत्र श्री कशमीर सिंह, निवासी गांव जलाड, तहसील लडभडोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

फरीक दोयम।

श्री कुलबन्त सिंह पुत्र श्री कशमीर सिंह, निवासी गांव जलाड, तहसील लडभडोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने शपथ-पत्र सहित आवेदन किया है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम कुलबन्त सिंह है परन्तु राजस्व अभिलेख मुहाल जलाडी में प्रार्थी का नाम कुलदीप दर्ज है जो गलत है। अब नाम दुरुस्ती दर्ज करवाने बारे निवेदन किया है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दुरुस्ती दर्ज करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 17-08-2017 को 10 बजे इस अदालत में हाजिर हो कर अपना उजर पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिर एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इशतहार आज दिनांक 15-07-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
लडभडोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

समक्ष तहसीलदार एवम् सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभडोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

श्री मनमोहन सिंह पुत्र श्री प्रताप सिंह, निवासी गांव निमेलरी, डाकघर गंगोटी, तहसील लडभडोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

फरीक दोयम।

श्री मनमोहन सिंह पुत्र श्री प्रताप सिंह, निवासी गांव निमेलरी, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने शपथ-पत्र सहित आवेदन किया है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम मनमोहन सिंह है। परन्तु राजस्व अभिलेख मुहाल निमेलरी में प्रार्थी का नाम मनमोहन दर्ज है जो गलत है। अब नाम दुरुस्ती दर्ज करवाने बारे निवेदन किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दुरुस्ती दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 17-08-2017 को 10 बजे इस अदालत में हाजिर हो कर अपना उजर पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिर एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 15-07-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

समक्ष तहसीलदार एवम् सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

श्री पूर्ण चन्द पुत्र सेतू, निवासी गांव बल्ह, डाकघर पंजालग, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

फरीक दोयम

जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र।

श्री पूर्ण चन्द पुत्र सेतू, निवासी गांव बल्ह, डाकघर पंजालग, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने शपथ-पत्र सहित आवेदन किया है कि प्रार्थी की दादी श्रीमती गजू की मृत्यु तारीख 12-06-1973 है परन्तु प्रार्थी की दादी श्रीमती गजू धर्मपत्नी स्व0 श्री दुगला की मृत्यु तारीख ग्राम पंचायत कथौण के मृत्यु अभिलेख में दर्ज नहीं है। अब मृत्यु तिथि दर्ज करने हेतु आवेदन किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त मृत्यु तिथि दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 17-08-2017 को 10 बजे इस अदालत में हाजिर हो कर अपना उजर पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिर एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर मृत्यु तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 15-07-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

**In the Court of Shri Raghav Sharma (I.A.S.), Marriage Officer-cum-Sub-Divisional
Magistrate, Chachyot at Gohar, District Mandi (H. P.)**

In the matter of :—

1. Shri Naresh Kumar s/o Shri Madhav Ram, r/o Gulad, P.O. Kot, Tehsil Chachyot, District Mandi, H.P.

2. Smt. Mamta d/o Shri Ramesh Kumar, r/o Bhour, P.O. Kanaid, Tehsil Sunder Nagar, District Mandi (H. P.) . . Applicants.

Versus

General Public

Subject.—Proclamation for registration of Marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Shri Naresh Kumar and Smt. Mamta have filed an application on dated 14-07-2017 along with affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 05-12-2013 and they are living as husband and wife since then and hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 16-08-2017. The objection received after 16-08-2017 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 15-07-2017 under my hand and seal of the court.

Seal.

RAGHAV SHARMA,
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Chachyot at Gohar, District Mandi (H.P.).

ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

मिसल नम्बर : 09/2017

तारीख मजरूआ : 12-07-2017

तारीख पेशी : 10-08-2017

श्री रविन्द्र कुमार पुत्र श्री गजा मल, निवासी गांव कच्छाली, डाकखाना सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
... प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

... फरीकदोयम।

अधीन धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत आवेदन-पत्र।

श्री रविन्द्र कुमार पुत्र श्री गजा मल, निवासी गांव कच्छाली, डाकखाना सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) द्वारा समस्त औपचारिकताओं सहित इस न्यायालय में प्रस्तुत आवेदन-पत्र में उल्लेख किया है कि उसका

वास्तविक नाम रविन्द्र कुमार है जबकि राजस्व अभिलेख मुहाल कच्छाली में उसका नाम रवि कुमार दर्ज है जो कि गलत है इसलिए उसने निवेदन किया है कि राजस्व अभिलेख मुहाल कच्छाली में दरुस्ती की जाकर उसका नाम रवि कुमार उर्फ रविन्द्र कुमार दर्ज किया जाए।

अतः इससे पूर्व कि मामला में अधीन धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत आगामी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाए, इस नोटिस द्वारा जन-साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त मामला में कोई उजर/एतराज हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 10-08-2017 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है अन्यथा गैर हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 12-07-2017 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी,
सन्धोल, जिला मण्डी, हि0 प्र0।

अज अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील जोगिन्द्र नगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

मिसल नम्बर : 02

तारीख मजरूआ : 03-07-2017

तारीख पेशी : 17-08-2017

श्री निशचल पुत्र कुलदीप राठौर, निवासी पसल, तहसील जोगिन्द्र नगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

फरीक दोयम।

जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र।

निशचल पुत्र कुलदीप राठौर, निवासी पसल, तहसील जोगिन्द्र नगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन पत्र गुजारा है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम निशचल व जन्म तिथि 12-11-1988 है जो ग्राम पंचायत पसल के परिवार नकल व जन्म रजिस्टर में दर्ज नहीं है। जिसे प्रार्थी ने ग्राम पंचायत पसल के अभिलेख में दर्ज करने के अनुरोध किया है।

अतः इश्तहार राजपत्र के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त मुकद्दमा बारे कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक 17-08-2017 को प्रातः 10.00 बजे असालतन व वकालतन इस न्यायालय में हाजिर होकर अपने उजर एतराज पेश करे। अन्यथा गैर हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 12-07-2017 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
जोगिन्द्र नगर, जिला मण्डी, हि0 प्र0।

**In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sundernagar,
District Mandi, H. P.**

In the matter of :—

1. Vishal Gandotra s/o Late Shri Ramesh Gandotra, r/o 319/11, V. P. O. Purana Bazar, Tehsil Sundernagar, District Mandi, H.P.
2. Sunita Devi d/o Shri Lekh Ram, r/o Village Kipper, P.O. Manjhwar, Tehsil Sadar, District Mandi, H.P. presently residing at r/o 319/11, V.P.O. Purana Bazar, Tehsil Sundernagar, District Mandi, H.P. . . Applicants.

Versus

General Public

.. Respondent.

Subject.—Application for registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act 1954.

Vishal Gandotra and Sunita Devi applicants have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 12-08-2013 according to Hindu custom and rites and they are living together as husband and wife then, hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 22-08-2017 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 14-07-2017 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-
Marriage Office-cum-SDM,
Sundernagar, District Mandi (H.P.).

**In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sundernagar,
District Mandi, H. P.**

In the matter of :—

1. Amit Kumar Rana s/o Late Shri Surender Kumar Rana, r/o House No. S-III/318, BBNB Colony, Sundernagar, P. O. Sundernagar Township, Tehsil Sundernagar, District Mandi, H.P. (INDIA).
2. Laxmi Lal d/o Late Shri Hira Lal, Serenadgatan 25 Lgh 1601 215 73 MALMO Country Skane, Sweden . . Applicants.

Versus

General Public

.. Respondent.

Subject.—Notice of intended marriage under section 5 of Special Marriage Act 1954.

Amit Kumar Rana and Laxmi Lal applicants have filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 5 of Special Marriage Act, 1954. I hereby give notice that a marriage under the Special Marriage Act, 1954, is intended to be solemnized between them within three calendar months from the date hereof.

Name	Condition	Occupation	Age	Dwelling place	Permanent dwelling place if present dwelling	Length of residence
Amit Kumar Rana	Un-married	Clerk in the Office of Chief Engineer, BSL Project, BBMB Sundernagar	26 year	House No. S/III/318, BBMB Colony, Sundernagar Township, Tehsil Sundernagar, District Mandi, H.P.	Village and Post Office Mehal, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur, H.P.	3 years 11 month and 4 days (w.e.f. 07-08-2013)
Laxmi Lal	Divorcee	School Teacher in Bellisgarden Forskolan, Halltopsvagen 46 21575 MALOMO SWEDEN.	38 years	Serenadgatan 25 Lgh 1601 215 73 MALMO Country Skane, Sweden.	Serenadgatan 25 Lgh 1601 215 73 MALMO Country Skane, Sweden.	01-06-2005

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 30-08-2017 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 15-07-2017 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-
Marriage Office-cum-SDM,
Sundernagar, District Mandi (H.P.).

**In the Court of Shri Sanjiv Gupta, Sub Divisional Magistrate Shimla (Urban),
District Shimla, Himachal Pradesh**

Sh Subhash Chander s/o Late Shri Jas Ram, r/o 305 Panchmarhi Apartment, Kaushambi, Ghaziabad (U.P.) . . Applicant.

Versus

General Public

.. Respondent.

Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas Sh. Subhash Chander s/o Late Shri Jas Ram, r/o 305 Panchmarhi Apartment, Kaushambi, Ghaziabad (U.P.) has preferred an application to the undersigned for registration the

date of death of his younger brother namely Harbans Lal Arora s/o Late Shri Jas Ram (DOD 17-2-1995) in the record of Municipal Corporation Shimla.

Therefore, this proclamation, the General Public is hereby informed that any person having and objection for entry as to date of death mentioned above, may submit his objection in writing in this court on or before 11-08-2017 failing which no objection will be entertained after expiry of date and will be decided accordingly.

Given under my hand and seal of the Court on this 11th day of July, 2017.

Seal.

SANJIV GUPTA,
Sub-Divisional Magistrate,
Shimla (Urban).

ब अदालत श्री रोशन लाल कपाटिया, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धामी,
तहसील ग्रामीण व जिला शिमला, हि0 प्र0

मुकद्दमा संख्या : 10-IX/2017
ता0 14-IX/2017

तारीख मजरुआ : 20-01-2017

तारीख पेशी : 24-08-2017

श्री तारा चन्द, शिव राज, तेज सिंह, राम सरन, लच्छमी सिंह, नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री रेवादास, निवासी
मौजा सोहल, उप-तहसील धामी, जिला शिमला, हि0 प्र0

बनाम

श्री जय सिंह पुत्र श्री पदम सिंह, श्री सुर्य प्रकाश पुत्र श्री चिन्तामणी, श्री दिवान चन्द पुत्र श्री तनकू,
निवासी मौजा सोहल, उप-तहसील धामी, जिला शिमला, हि0 प्र0 प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र बराए जेर धारा 123 के अन्तर्गत भू-विभाजन हेतु।

ईशतहार :

यह कि श्री तारा चन्द व अन्य पुत्रगण श्री रेवादास, निवासी मौजा सोहल, उप-तहसील धामी, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र बराये जेर धारा 123 के अन्तर्गत भू-विभाजन हेतु अराजी खाता/खतौनी नम्बर 41/115 ता 126, खाता/खतौनी नम्बर 44/137 ता 147, खाता/खतौनी नम्बर 43/134 ता 136, खाता/खतौनी नम्बर 45/148 ता 163, खाता/खतौनी नम्बर 15/40 ता 51 मुताबिक जमाबंदी वर्ष 2014-15 वाका महाल सोहल, उप-तहसील धामी, तहसील व जिला शिमला हि0 प्र0 बारे प्रस्तुत किया है। जिसमें मुकद्दमा संख्या 10-IX/2017 में प्रतिवादी नम्बर 20, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 41, 43, 49 ता 60 व 62, मुकद्दमा संख्या 11-IX/2017 में प्रतिवादी नम्बर 25, 38, 39, 42, 43, 47, 49, 55 ता 66, मुकद्दमा संख्या 12-IX/2017 में प्रतिवादी नम्बर 14, 18, 21 ता 32, मुकद्दमा संख्या 13-IX/2017 में प्रतिवादी नम्बर 16, 24, 25, 27 व 31, मुकद्दमा संख्या 14-IX/2017 में प्रतिवादी नम्बर 9, 10, 12 व 16 की तामील हेतु कई बार इस अदालत द्वारा समन जारी किये गये परन्तु अदम तामील व अधूरा पता होने के कारण तामील न हो सकी। जिससे यह प्रतीत होता है कि प्रतिवादीगण जानबूझ कर उपरोक्त मुकद्दमा में पेश न हो रहे हैं।

अतः ईशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रतिवादीगणों की तामील साधारण तरीके से होना मुश्किल है। अतः इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त मुकद्दमा

भू-विभाजन बारे कोई उजर व एतराज हो तो स्वयं या लिखित तौर पर दिनांक 24-08-2017 को अपराह्न 2.00 बजे हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश करे अन्यथा यह समझा जाएगा कि किसी भी सम्बन्धित व्यक्ति को इन आवेदन पत्रों बारे कोई उजर व एतराज न है, तथा आवेदन पत्रों को अन्तिम रूप दिया जाएगा व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 24-07-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
धामी, जिला शिमला, हि0 प्र0।

ब अदालत श्री मस्त राम बघाईक, कार्याकारी दण्डाधिकारी, चौपाल, जिला शिमला, हि0 प्र0

श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी श्री विनोद कुमार, गांव ग्यांउ, डाकघर नकौड़ापुल, तहसील चौपाल, जिला शिमला, हि0 प्र0।

बनाम

- (1) आम जनता
- (2) प्रधान, ग्राम पंचायत खददर, तहसील चौपाल, जिला शिमला

विषय.—प्रार्थी के बच्चे का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत खददर के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाए जाने बारे। कि अधीन धारा 13(3) जन्म एवम् मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे।

इश्तहार :

हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी श्री विनोद कुमार, गांव ग्यांउ, डाकघर नकौड़ापुल, तहसील चौपाल ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसके बच्चे का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत खददर के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है, अब प्रार्थी अपने बच्चे का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत खददर के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहती है। जो कि इस प्रकार से है।

क्रम संख्या	नाम	सम्बन्ध	जन्म तिथि
1.	नितिश कुमार	पुत्र	12-06-1998

अतः आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो तारीख 18-08-2017 को या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करे अन्यथा आवेदन-पत्र पर जन्म पंजीकरण के आदेश पारित करके सचिव ग्राम पंचायत खददर को आगामी कार्यान्वयन हेतु भेज दिया जायेगा।

आज दिनांक 17-07-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

मस्त राम बघाईक,
कार्याकारी दण्डाधिकारी,
चौपाल, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री मनमोहन जिष्टू, कार्याकारी दण्डाधिकारी, चौपाल, जिला शिमला, हि0 प्र0

श्री रामू पुत्र श्री कांशी राम, निवासी गांव, डाकघर व तहसील चौपाल, जिला शिमला, हि0 प्र0

बनाम

- (1) आम जनता
- (2) अध्यक्ष, नगर पंचायत चौपाल, तहसील चौपाल, जिला शिमला

विषय.—प्रार्थी की पुत्री का नाम व जन्म तिथि नगर पंचायत चौपाल के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाए जाने बारे। कि अधीन धारा 13(3) जन्म एवम् मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे।

इशतहार :

हर खास व आम जनता को बजरिया इशतहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी श्री रामू पुत्र श्री कांशी राम, निवासी गांव, डाकघर व तहसील चौपाल ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसने अपनी बेटी का नाम व जन्म तिथि नगर पंचायत चौपाल के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है, अब प्रार्थी अपनी बच्ची का नाम व जन्म तिथि नगर पंचायत चौपाल के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है। जो कि इस प्रकार से है।

क्रम संख्या	नाम	सम्बन्ध	जन्म तिथि
1.	अंजली	पुत्री	15-12-2012

अतः आम जनता को बजरिया इशतहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो तारीख 18-08-2017 को या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करे अन्यथा आवेदन-पत्र पर के आदेश पारित करके सचिव नगर पंचायत चौपाल को आगामी कार्यान्वयन हेतु भेज दिया जायेगा।

आज दिनांक 17-07-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

मनमोहन जिष्टू,
कार्याकारी दण्डाधिकारी,
चौपाल, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री मनमोहन जिष्टू, कार्याकारी दण्डाधिकारी, चौपाल, जिला शिमला, हि0 प्र0

श्री राजेश पुत्र श्री रोशन लाल, गांव व डाकघर माटल, तहसील चौपाल, जिला शिमला, हि0 प्र0

बनाम

- (1) आम जनता
- (2) प्रधान, ग्राम पंचायत माटल, तहसील चौपाल, जिला शिमला

विषय.—प्रार्थी के पुत्र का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत माटल के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाए जाने बारे। कि अधीन धारा 13(3) जन्म एवम् मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे।

इशतहार :

हर खास व आम जनता को बजरिया इशतहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी श्री राजेश पुत्र श्री रोशन लाल, गांव व डाकघर माटल, तहसील चौपाल ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसने अपने बेटे का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत माटल के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है, अब प्रार्थी अपने बच्चे का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत माटल के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है। जो कि इस प्रकार से है।

क्रम संख्या	नाम	सम्बन्ध	जन्म तिथि
1.	दिव्यांश	पुत्र	31-03-2014

अतः आम जनता को बजरिया इशतहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो तारीख 18-08-2017 को या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करे अन्यथा आवेदन-पत्र पर जन्म पंजीकरण के आदेश पारित करके सचिव ग्राम पंचायत ननहार को आगामी कार्यान्वयन हेतु भेज दिया जायेगा।

आज दिनांक 17-07-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

मनमोहन जिष्टू,
कार्याकारी दण्डाधिकारी,
चौपाल, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री राम कृष्ण नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तकलेच,
जिला शिमला (हि0 प्र0)

नं0 मुकद्दमा : 15/2017

तारीख दायर : 04-05-2017

श्री चेत राम पुत्र श्री ब्रेस्तू, गांव जोगनी, डा0 मुनीश, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0 प्र0)
वादी

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी

दरखास्त (नाम दुरुस्ती) सेहत ईन्द्राज अराजी खाता नं0 111, 112, 109, 110, वाका चक मुनीश, खाता नं0 193, 194, 195, वाका चक बाहली, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला, हि0 प्र0।

नोटिस बनाम आम जनता

यह दरखास्त श्री चेत राम पुत्र श्री ब्रेस्तू, निवासी गांव जोगनी, डा0 मुनीश, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि वादी जब सम्बन्धित पटवार खाना में नकल जमाबन्दी प्राप्त करने हेतु पटवारी के पास गया तब ज्ञान हुआ कि अराजी खाता नं0 111, 112, 109, 110, वाका चक मुनीश, खाता नं0 193, 194, 195, वाका चक बाहली में उसका नाम चेतारु पुत्र ब्रेस्तू दर्शाया गया

है। जबकि वादी का सही नाम चेत राम पुत्र ब्रेस्तू है। वादी उपरोक्त कागजात माल में अपना नाम चेतारु पुत्र ब्रेस्तू के स्थान पर चेत राम पुत्र ब्रेस्तू दुरुस्त/दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त वादी का नाम उपरोक्त खाता हजा में दुरुस्त/दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो दिनांक 18-08-2017 को या इससे पूर्व अदालत हजा में हाजिर आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार वादी का नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 18-07-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

राम कृष्ण नेगी,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला, हि0 प्र0।

ब अदालत श्री राम कृष्ण नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तकलेच,
जिला शिमला (हि0 प्र0)

नं0 मुकद्दमा : 22/2017

तारीख दायर : 18-07-2017

श्री बासू देव पुत्र स्व0 श्री आमी राम, निवासी गांव नेहरा, डा0 बाहली, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0 प्र0) वादी

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी

दरखास्त (नाम दुरुस्ती) सेहत ईन्द्राज वाका चक नेहरा व देवनगर, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला, हि0 प्र0।

नोटिस बनाम आम जनता

यह दरखास्त श्री बासू देव पुत्र स्व0 श्री आमी राम, निवासी गांव नेहरा, डा0 बाहली, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि वादी का नाम मुताबिक पंचायत अभिलेख बासू देव दर्ज है जो सही व दुरुस्त है परन्तु वाका चक नेहरा व देवनगर के खाना मालिक में वादी का नाम ब्यास देव दर्शाया गया है, जो कि सही नहीं है। वादी उपरोक्त कागजात माल में अपना नाम ब्यास देव के स्थान पर बासू देव दुरुस्त/दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त वादी का नाम उपरोक्त चक में दुरुस्त/दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो दिनांक 18-08-2017 को या इससे पूर्व अदालत हजा में हाजिर आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार वादी का नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 18-07-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

राम कृष्ण नेगी,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री राम कृष्ण नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तकलेच,
जिला शिमला (हि0 प्र0)

नं0 मुकद्दमा : 24/2017

तारीख दायर : 17-07-2017

श्री गंगा राम पुत्र श्री सैकू राम, निवासी गांव परान्दली, डा0 देवठी, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0 प्र0) वादी

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी

दरखास्त (नाम दरुस्ती) सेहत ईन्द्राज अराजी खाता/खतौनी नं0 147/313 ता 16, 151/320 ता 330, वाका चक कीम, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला, हि0 प्र0।

नोटिस बनाम आम जनता

यह दरखास्त श्री गंगा राम पुत्र श्री सैकू राम, निवासी गांव परान्दली, डा0 देवठी, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि वादी का नाम मुताबिक पंचायत अभिलेख गंगा राम पुत्र सैकू राम दर्ज है जो सही व दरुस्त है परन्तु खाता/खतौनी नं0 147/313 ता 16, 151/320 ता 330, वाका चक कीम के खाना मालिक में वादी का नाम कुई पुत्र सैकू दर्शाया गया है, जो सही नहीं है। वादी उपरोक्त कागजात माल में अपना नाम कुई पुत्र सैकू के स्थान पर गंगा राम पुत्र सैकू राम दरुस्त/दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त वादी का नाम उपरोक्त अराजी के खाना मालिक में दरुस्त/दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो दिनांक 18-08-2017 को या इससे पूर्व अदालत हजा में हाजिर आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार वादी का नाम दरुस्त करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 18-07-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

राम कृष्ण नेगी,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला, हि0 प्र0।

**In the Court of Shri Gian Sagar Negi, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R),
District Shimla (H. P.)**

Shri Lekh Ram s/o Shri Jeet Ram, r/o Village Rahi, P.O. Chailly, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh.

Versus

General Public

Respondent.

Whereas Shri Lekh Ram s/o Shri Jeet Ram, r/o Village Rahi, P.O. Chailly, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh has filed an application along with affidavit in the court of undersigned

under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter the date of birth of his son named—Mr. Pawan Kumar s/o Shri Lakh Ram s/o Shri Jeet Ram, r/o Village Rahi, P.O. Chailly, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh in the record of Secy., Birth and Death, Gram Panchayat Chailly, Shimla.

Sl. No.	Name of the family member	Relation	Date of Birth
1.	Mr. Pawan Kumar	Son	17-05-1998

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding entry of the name & date of birth of above named in the record of Gram Panchayat Chailly, Shimla may file their claims/objections on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.

Issued today 22-07-2017 under my signature and seal of the court.

Seal.

GIAN SAGAR NEGI,
Sub-Divisional Magistrate,
Shimla (R), District Shimla.

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील ददाहू,
जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

ब मुकदमा : श्री रमेश कुमार पुत्र श्री माता राम, निवासी ग्राम गावड़ा, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

प्रार्थना—पत्र इन्द्राज जन्म तिथि।

श्री रमेश कुमार पुत्र श्री माता राम, निवासी ग्राम गावड़ा, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने इस अदालत में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि उसकी पुत्रियों क्रमशः वंदना की जन्म तिथि 12-05-2013, मनप्रीत की जन्म तिथि 28-01-2015, ग्राम पंचायत कटाह शीतला के रिकार्ड में दर्ज नहीं है जिसकी पुष्टि हेतु ब्यान हल्फिया, परिवार रजिस्टर की नकल, सचिव ग्राम पंचायत का प्रमाण—पत्र प्रस्तुत किया है। अब वह ग्राम पंचायत के रिकार्ड में वंदना व मनप्रीत पुत्रियां रमेश कुमार एवं श्रीमती काकी देवी की जन्म तिथियां 12-05-2013 व 28-01-2015 दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता ग्राम गावड़ा व प्रार्थी के समस्त रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी प्रार्थी के उक्त पुत्रियों की जन्म तिथियां ग्राम पंचायत कटाह शीतला, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 में दर्ज करने बारे उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 18-08-2017 को प्रातः 10.00

बजे असालतन व वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता/सकती है। उसके उपरान्त कोई उजर व एतराज नहीं सुना जाएगा और नियमानुसार प्रार्थना पत्र का निपटारा कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 18-07-2017 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

CHANGE OF NAME

I, Abinash Jamwal s/o Sh. Dhanpat Rai, r/o Village Malghuni, P.O. Thural, Sub-Tehsil Thural, Tehsil Palampur, District Kangra, H.P. declare that my name in my voter ID Card may be read as Abinash Jamwal instead of Avinash Jamwal. Concerned note it.

ABINASH JAMWAL,
s/o Sh. Dhanpat Rai,
r/o Village Malghuni, P. O. Thural,
Sub-Tehsil Thural, Tehsil Palampur,
District Kangra, H.P.